



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 02.06.2026

"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन व कोतवाली उरई पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण 1. रमनदीप पुत्र बृजेन्द्र निवासी फ्लैट नं० 03 सेवक पार्क द्वारिका रोड थाना द्वारिका नई दिल्ली 2. करुणेश शर्मा पुत्र वीरेन्द्र शर्मा निवासी 006/1280 ओल्ड माधव नगर सहारनपुर थाना सहारनपुर उत्तर प्रदेश द्वारा जालसाजी कर पैसा जमा कराकर पैसे को हड़प लेने के संबन्ध में कोतवाली उरई पर मु०अ०सं० 1364/15 धारा 420/467/468/471 भादवि में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त उपरोक्त को **07-07 वर्ष का साधारण कारावास एवं प्रत्येक को 7500/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली उरई पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय सी.जे.एम.उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण रमनदीप व करुणेश शर्मा उपरोक्त को दोषी पाते हुए **07-07 वर्ष का साधारण कारावास** एवं प्रत्येक को **7500/- रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
विनोद कुमार



प्र०नि० मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



कोर्ट मुहारिर उ०नि०
राजेन्द्र सिंह



कोर्ट पैरोकार
विजय राज